मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–45/2025

1. ओम विष्णु उम्र 33 वर्ष
2. अजयपाल उम्र 31 वर्ष

पिसरान इन्द्र जीत जाति बिशनोईनिवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र स्व.श्री श्योकरण जाति बिशनोई निवासी लिखमीसर, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. प्रमिला पुत्री श्री इन्द्रजीत पत्नी प्रशान्त जाति बिशनोई, निवासी खाजुवाला, जिला बीकानेर राजस्थान।
3. सरिता पुत्री श्री इन्द्रजीत पत्नी श्री सुनिल कुमार जाति बिशनोई, निवासी 7 K-S-P- शेरेका, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. निर्मला पुत्री श्री इन्द्रजीत जाति बिशनोई, निवासी लिखमीसर, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–28/4/25

वादी की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

(क). वादी सं. 1 ओमविष्णु को प्राप्त कृषि भूमिः–चक 7 एल. जी. डब्लयु.–बी के प.न. 31/285 (3) कि.न. 6/1, 6/2, 14/1 ता 19/2, 21/1 ता 23 की कुल 1.732 हैक. भुमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.759 हैक. का व चक 5 एल. के. एस. बी के प.न. 12/279 (9) कि.न. 16 ता 19, 22 ता 25 की कुल 2.024 हैक. भुमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख). वादी सं. 2 अजयपाल को प्राप्त कृषि भुमि–चक 2 एस.जी.आर. के प.नं. 2/312 (7) किला नं. 16/1, 16/2, 17, 18 21 ता 25/2 [illegible] व 6/2, 7, 8/2, प.न. 5/314 (30) कि.न. 4/1 ता 7, 14 ता 17, 25 [illegible] (31) 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, व 9 ता 12, 20 व प.न. 5/[illegible] की कुल 9.9290 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या [illegible] 7.109 हैक. भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] सं. 1 को यथावत रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:20 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:20 IST
Reason: SelfAttested